[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 12

[दि रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज आफ नान रेजिडेन्ट इंडियन बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019

अनिवासी भारतीय के विवाह का रजिस्ट्रीकरण और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 **तथा दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 **का और संशोधन करने के लिए तथा उससे उपाबद्ध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "अनिवासी भारतीय" से भारत का नागरिक अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर निवास करता है ।

अध्याय 2

अनिवासी भारतीय के विवाह का रजिस्ट्रीकरण

अनिवासी भारतीय के विवाह का रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) प्रत्येक अनिवासी भारतीय, जो भारत के किसी नागरिक से विवाह करता है, वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (जिसके अंतर्गत राज्य अधिनियम हैं) के अधीन अपने विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवाएगा ।

(2) प्रत्येक अनिवासी भारतीय, जो भारत के किसी नागरिक से या किसी अन्य अनिवासी भारतीय से भारत से बाहर विवाह करता है, अपने विवाह को, विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विदेशी विवाह अधिनियम, **1969** की धारा 3 के अधीन नियुक्त विवाह अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में विवाह हुआ है या विवाह के पक्षकारों की पसंद पर किसी रीति में विवाह का अनुष्ठापन हुआ है, के पास रजिस्ट्रीकृत करवाएगा । 1969 का 33

अध्याय 3

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन ।

4. पासपोर्ट अधिनियम, **1967** की धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 1967 का 15

'(i) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी की सूचना में यह बात लाई जाती है कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक कोई अनिवासी भारतीय है, जिसने किसी भारत के नागरिक या किसी अनिवासी भारतीय से विवाह किया है और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अनिवासी भारतीय" से भारत का कोई नागरिक अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर निवास करता है ।'।

अध्याय 4

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

नई धारा 86क का अंत:स्थापन ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 86 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 1974 का 2

वेबसाइट के माध्यम से समन, वारंट की तामील और संपत्ति की कुर्की ।

"86क. (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन समन किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि जारी किए गए समनों की तामील नहीं हो सकी है तो न्यायालय समनों को सूचना के सार के साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर अपलोड करके जारी कर सकेगा और समनों का इस प्रकार अपलोड करना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि समनों की उस व्यक्ति के विरुद्ध तामील कर दी गई है ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन समन किया गया व्यक्ति, समनों द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत

रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करेगा और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सूचना के सार के साथ वारंट को उपधारा (1) के अधीन जारी समनों के ब्यौरों के साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर अपलोड कर सकेगा ।

(3) जब व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन वेबसाइट पर अपलोड किए गए वारंट में वर्णित समय और स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करेगा और इस निमित्त एक घोषणा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर अपलोड कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उद्घोषणा अपलोड करने के पश्चात्, यदि अभियुक्त ऐसी उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर सम्यक् रूप से उद्घोषणा अपलोड करने की उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा एक लिखित कथन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया है और इसे सम्यक् रूप से तामील हुआ समझा जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित अपराधी से संबंधित किसी संपत्ति, जंगम या स्थावर या दोनों की कुर्की का आदेश कर सकेगा ।

(6) जब उपधारा (5) के अधीन कुर्क संपत्ति, उसके और अन्य सह-स्वामियों या सह-अंशधारियों से संबंधित संयुक्त समिति में उद्घोषित अपराधी के भाग या हित से मिलकर बनती है तो ऐसी कुर्की केवल उद्घोषित अपराधी के ऐसे भाग या हित के संबंध में ही लागू होगी ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय महिलाओं के अनिवासी भारतीयों के साथ कपटपूर्ण विवाहों में फंसने की अनेक रिपोर्टें आई हैं । इससे उन पत्नियों को ऐसी स्थितियों से संरक्षित करने के लिए सुरक्षोपाय तैयार करने की सतत आवश्यकता पर बल दिया है । इसलिए, यह आवश्यक है कि अनुष्ठापित विवाह या भारत में या भारत से बाहर अन्यथा विवाह को विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्टर किया जाएगा । यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न कुटुंब विधियों के अधीन परित्यक्त पत्नियों के अधिकारों के बेहतर प्रवर्तन के लिए विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए एक विधान लाया जाए ।

2. तदनुसार, अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019, अनिवासी भारतीय द्वारा विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने का प्रस्ताव करता है । यह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का भी संशोधन करने के लिए है ।

3. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का प्रस्तावित संशोधन, पासपोर्ट प्राधिकारी को, यदि उसकी जानकारी में यह लाया जाता है कि अनिवासी भारतीय ने विवाह की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है, किसी अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को परिबद्ध करने या परिबद्ध करना कारित करने या प्रतिसंहृत करने के लिए सशक्त बनाता है ।

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रस्तावित संशोधन, न्यायालयों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट के माध्यम से समन, वारंट जारी करने के लिए भी सशक्त बनाएंगे । ये उद्घोषित अपराधी की जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों की कुर्की का और भी उपबंध करता है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 फरवरी, 2019

सुषमा स्वराज

MGIPMRND—3776RS(CRC)—08-02-2019.